न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

(104)

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : निगरानी–नीमच/भू0रा0/2018/4944 – विरूद्ध– आदेश दिनांक 28–7–2018 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन – प्रकरण क्रमांक 216/2017–18 अपील

शिवनारायण पिता फकीरचन्द तेली
ग्राम सखानिया महाराज, तहसील जावद
जिला नीमच, मध्य प्रदेश

———आवेदक

विरूद्ध

1– रामा पिता भग्गा भील
2– हीरा पिता कजोड़ भील मृत वारिस
अ– कैलाशीवाई पत्नि भंवरलाल
ब– किशनलाल पिता भॅवरलाल भील
निवासीगण ग्राम सरवानिया महाराज
तहसील जावद जिला नीमच म0प्र0

———अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री ए0आर0यादव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री नंदन सिह पवार)

आ दे श

(आज दिनांक 11–04–2019 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्र0क0 216/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–7–18 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्रमांक–1 ने अति0तहसीलदार जावद को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की ग्राम सरवानिया

महाराज स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 38/12/1 रकबा 0.599 आरे उसके व्दारा बयनामा दिनांक 21-1-09 से क्रय की है इसलिये नामान्तरण किया जावे। अति0तहसीलदार जावद ने प्रकरण क्रमांक 35 अ-6/ 2008-09 पॅजीबद्ध किया तथा शासकीय पटटे की भूमि का विक्रय होना मानकर विक्रय पत्र को शून्य करार देते हुये नामान्तरण आवेदन अस्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध केता अनावेदक क-1 ने अनुविभागीय अधिकारी जावद के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी जावद ने प्रकरण क्रमांक 7/11-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-12-12 से अपील अस्वीकार की।

अनावेदक क्रमांक -1 ने तहसीलदार जावद को वर्ष 2015 में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मांग रखी कि ग्राम सरवानिया महाराज स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 38/12/1 रकबा 0.599 आरे उसके व्दारा बयनामा दिनांक 21-1-09 से क्रय की है एंव क्रय उपरांत कब्जा चला आ रहा है परन्तु नामान्तरण न होने से खाद बीज लेने में परेशानी है इसलिये नामान्तरण किया जावे। तहसीलदार जावद ने प्रकरण क्रमांक 24 अ-6/14-15 पॅजीबद्ध किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 18-6-15 पारित करके ग्राम सरवानिया महाराज स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 38/12/1 रकबा 0.599 आरे पर केता अनावेदक क्रमांक 1 का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी जावद के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी जावद ने प्रकरण क्रमांक 46/15-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-11-17 से आवेदक की अपील स्वीकार कर तहसीलदार जावद का आदेश दिनांक 18-6-15 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन ने प्रकरण क्रमांक

216/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–7–18 से अनुविभागीय अधिकारी जावद के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी जावद का आदेश दिनांक 7–11–17 निरस्त करते हुये तहसीलदार जावद के आदेश दिनांक 18–6–15 को यथावत् रखा। अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने। अनावेदक कमांक 1, 2 की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव लेखी बहस के तथ्यों के कम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि तहसीलदार जावद ने आदेश दिनांक 18–6–15 पारित करते समय आदेश में अंकित किया है कि शॉतिवाई विरुद्ध दशरथ लोधी 1993 रा.नि. 45 तथा 1993(2) एम0पी0डब्ल्यु. एन. 174 मान.उच्चतम न्यायालय , 1981 रा. नि. 277 तथा 1984 रा0नि0 96 कें न्याय दृष्टांतों के अनुसार पॅजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण किया जाना चाहिये एंव तहसीलदार ने इन्हीं न्याय दृष्टांतों का अवलम्बन लेते हुये विक्रय पत्र दिनांक 21–1–09 से क्रय की गई भूमि पर नामान्तरण स्वीकार किया है। अनुविभागीय अधिकारी जावद ने तहसीलदार के नामान्तरण आदेश को इसलिये निरस्त किया है क्योंकि विवादित भूमि पर केता रामा व्दारा नामांतरण हेतु किस दिनांक को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया तथा उक्त भूमि केता रामा व्दारा कब अथवा किस वर्ष क्रय की गई, जिसके कारण तहसीलदार के आदेश को संदेहजनक मानकर निरस्त किया है, जबकि प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि विक्रय पत्र दिनांक 21–1–09

का है तथा आवेदक के आवेदन पर तहसीलदार जावद व्दारा प्रथम आर्डरशीट दिनंक 8–5–15 को इस आशय की लिखी गई है :–

'' आवेदक रामा पिता भग्गा जाति भील नि. समेल ने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सर.महा. स्थित भूमि सर्वे कमांक 38/12/1 रकबा 0.599 है. भूमि का बयनामा दिनांक 21–1–09 को निष्पादित करवाया गया है। ''

उपरोक्त से प्रतीत होता है कि अनुविभागीय अधिकारी जावद ने तहसीलदार के प्रकरण का भलीभॉति अवलोकन किये बिना ही मनमाफिक अर्थ निकाल कर संशायत्मक स्थिति में आदेश पारित किया है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन ने प्र0क0 216/17–18 अपील में Speaking Order पारित करते हुये अनुविभागीय अधिकारी के दोषपूर्ण आदेश को निरस्त किया है जिसके कारण अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के आदेश दिनांक 28–7–18 में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन व्दारा प्र0क0 216/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–7–18 उचित प्रतीत होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस०एस०अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर